

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना, तारीख .....

रा0 भूके बिहार सरकार को यह प्रतीत प्राप्त है कि  
गंगा-रुकनपुरा थाना नं0-18, परगना-फुलदारी, थाना-दानापुर, जिला-पटना नं0 राजनैतिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गंगा  
रेल पुल के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा  
अपेक्षित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त थाना-रुकनपुरा, थाना नं0-18, के भीतर भूमि का एक  
खंड अपेक्षित है जो मात्र माप से कम देश, 0.01 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा  
नं0-105/755 अंश माप जिसकी बँहदारी निम्न प्रकार है-

उत्तर : खेसरा स0 754


दक्षिण : खेसरा स0 106 एवं 105/755 अंश।

दक्षिण : खेसरा स0 752 एवं 751

पश्चिम : खेसरा स0 105/755

भूमि या भूमि का किसी प्रकार माप को नीचे बहाने वाले कंवल, लीज, कंवर, स्तर या अन्य जांचनी के  
खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के कंवल व माप निरूपण कार्य के लिए भूमि अर्जित की  
जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपर्युक्त में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे यह घोषणा  
अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 क खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा  
1, 1961 एवं 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इच्छा संवत्

भूमि के मापन विभाग जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश से


६०

सरकार के आदेश से

ज्ञा०सं०-14/डी०एल०ए०-पटना (गंगा रेल पुल)-33/12-3108/रा०, पटना-15, दिनांक-31/12/2013

प्रतिलिपि :-

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।  
✓